निजी न्यास (Private Trust) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

१. निजी न्यास क्या है?

एक ऐसा न्यास जहां कोई व्यक्ति (Settlor) अपनी संपत्तियों को विशिष्ट रूप से पहचान योग्य व्यक्तियों या परिवार के सदस्यों (लाभार्थियों) के लाभ के लिए स्थापित निजी न्यास में स्थानांतरित करता है, उसे निजी न्यास कहा जाता है।

२. निजी न्यास किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं?

भारत में निजी न्यास 'भारतीय न्यास अधिनियम १८८२' (Indian Trusts Act 1882) के तहत स्थापित किए जाते हैं।

३. निजी न्यास के निर्माण के तरीके क्या हैं?

एक निजी न्यास का निर्माण न्यासपत्र (Deed of Trust) या वसीयत (Will) के माध्यम से किया जाता है।

४. निजी न्यास बनाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?

निजी न्यास के गठन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं -

• लाभार्थी निश्चित होना चाहिए।

• व्यक्ति पहचान योग्य होना चाहिए।

• उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त कॉर्पस (मूल कोष/पूंजी) होना चाहिए।

• उपरोक्त सभी यानी उद्देश्य, लाभार्थी और कॉर्पस को परिभाषित करने वाला एक वैध न्यासपत्र होना चाहिए।

• समाप्ति का खंड होना चाहिए।

५. क्या निजी न्यास का पंजीकरण किया जा सकता है?

यदि न्यास के पास अचल संपत्ति (जैसे रियल एस्टेट/भूमि/भवन) है, तो पंजीकरण अनिवार्य है। यदि न्यास के पास केवल चल संपत्तियां हैं, तो पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।

६. क्या किसी निजी न्यास को अपने स्वयं के पैन (PAN) की आवश्यकता होती है?

हाँ... आयकर उद्देश्यों के लिए, एक निजी न्यास को एक अलग और कर-निर्धारणीय इकाई के रूप में माना जाता है।

७. क्या निजी न्यास को रद्द या बंद किया जा सकता है?

हाँ। - किसी भी निजी न्यास में समाप्ति/लोप का खंड होना अनिवार्य है, यानी एक ऐसी शर्त जिसके पूरा होने पर या समय अवधि के बाद उक्त निजी न्यास को बंद करना होगा और उपलब्ध कॉर्पस (यदि कोई हो) को न्यास विलेख में उल्लिखित तरीके से वितरित करना होगा।

८. क्या निजी न्यास विदेशी दान स्वीकार कर सकता है?

हाँ, भारत में एक निजी न्यास विदेशी दान स्वीकार कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब वह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत हो या उसे अनुमति प्राप्त हो। बिना अनुपालन के विदेशी धन स्वीकार करना एक दंडनीय अपराध है।

विशिष्ट निजी व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए स्थापित न्यास के मामले में, विदेश में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्य लाभार्थियों के व्यक्तिगत भरण-पोषण के लिए कानूनी रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) द्वारा शासित होता है, न कि FCRA द्वारा।

९. निजी न्यास के लिए कौन से कर लाभ उपलब्ध हैं?

निजी न्यासों को सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों की तरह अंतर्निहित कर छूट (Inherent tax exemptions) प्राप्त नहीं होती है।

१०. निजी न्यास का ट्रस्टी कौन बन सकता है?

भारतीय न्यास अधिनियम १८८२ के तहत, संपत्ति धारण करने और अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) करने में सक्षम कोई भी व्यक्ति या कानूनी इकाई ट्रस्टी बन सकती है। इसमें कॉर्पोरेट इकाइयाँ और न्यास का निर्माता (Settlor) शामिल हैं।

११. एक निजी न्यास में ट्रस्टियों की संख्या कितनी होती है?

भारतीय न्यास अधिनियम १८८२ के तहत, एक निजी न्यास के लिए न्यूनतम २ ट्रस्टियों की आवश्यकता होती है और ट्रस्टियों की संख्या पर कोई कानूनी अधिकतम सीमा नहीं है।